यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार, पौडी** के माह 11/2016 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **सुश्री** सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2018 से 29.11.2018 स (21.11.18 से 25.11.2018 HQ) तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया ।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राघवेन्द्र सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.11.2016 से 19.11.2016 तक श्री पी.एस. रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 07/2014 से 10/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2014 से 10/2016 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 11/2016 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 11/2016 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	79.62
2016-17	60.82
2017-18	100.03

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	13.46	13.46	662.89	662.89	-	-
2016-17	-	-	20.18	20.18	558.22	558.22	-	-
2017-18	-	-	19.79	19.79	672.18	672.18	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टीसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	3.18	3.18	-

इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय से एवं जिला योजना में जिलाधिकारी महोद्य द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो 1. वनो की अग्नि से सुरक्षा
2.बहुउद्देशीय वृक्षारोपण
3.मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम
4.इन्टेन्सीफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....कोई नहीं..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 1: निर्धारित दर से हस्तांतरित भूमि का मूल्य न लिये जाने से राजस्व क्षति ` 127.91 लाख।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु Net Present Value (NPV) निर्धारित की गयी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 28.03.2008 के अनुसार NPV की दर तीन वर्ष की अवधि के लिये निर्धारित की गई थी जिसमें तीन वर्षों उपरांत variation किया जा सकता था।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन-प्रभाग के वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरित पत्रावलियों की लेखापरीक्षा जाँच किये जाने पर पाया गया कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 526/X-4-16/1(651)/2015 दिनाँक 02.06.2016 द्वारा जनपद पौड़ी में कन्वाश्रम के सौंदर्यीकरण एवं झील विकास हेतु 3.074 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी हेतु पर्यटन विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि हस्तांतरण प्रस्ताव/प्रमाण पत्र के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आरक्षित वन भूमि के मूल्य/लीज रेंट के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रश्नगत प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि की दर ` 510/- प्रति वर्ग मीटर के अनुसार एक हे॰ वन भूमि का तत्समय बाजार मूल्य ` 51,00,000/- प्रति हे॰ था। इस प्रकार कुल आरक्षित भूमि का मूल्य ` 1,56,77,400/- था। आगे जाँच मे पाया गया कि आदेश संख्या 5-3/2007-एफ॰सी॰, दिनाँक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रभाग तथा प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आच्छादित वन भूमि हेतु वन भूमि का मूल्य (एन॰पी॰वी॰) ` 9.390 लाख प्रति हे॰ की दर से 3.074 हे॰ भूमि का मूल्य ` 28,86,486/- निर्धारित किया गया था, जो कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनाँक 19.03.2016 को जमा कर दिया गया था ।

चूँकि जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का मूल्य ` 1,56,77,400/- निर्धारित किया गया था जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मात्र ` 28,86,486/- ही जमा किये गये थे। इस प्रकार ` 1,27,90,914/- कम जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रकरण वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबन्धित है जिसमे एन॰पी॰वी॰ की दर लागू होगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश संख्या 16(1)/X-4-14/1-06(03)/2014 दिनाँक 16.01.2015 तथा शासनादेश संख्या 666/14-2-500(51)/1999 दिनाँक 19.07.1999 की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर पर मूल्य/धनराशि की वसूली की जानी है। इसके अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण द्वारा अपने पत्र संख्या 2781/जी 5052 दिनाँक 09.02.2018 द्वारा भी शासन को अवगत कराया गया है कि विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों को हस्तांतरित वन भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य/दर के अनुसार लिया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 28.03.2008 के अनुसार NPV की दर तीन वर्ष की अवधि के लिये थी जिसमें तीन वर्षों उपरांत variation किया जा सकता था जिसका पुनः उल्लेख भारत सरकार के आदेश संख्या F.No. 5-3/2011-FC दिनाँक 13.11.2014 में किया गया है। परन्तु, विभाग द्वारा वर्तमान तक एन.पी.वी. दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की गयी थी ।

अतः विकास कार्यों हेतु हस्तांतरित वन भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से न लिये जाने के कारण राजस्व क्षति ` 1,27,90,914/- का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1: नियमानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि न लिये जाने से राजस्व क्षति ` 2.53 लाख।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों का निर्धारण निम्नवत किया गया था:

वसूली वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे॰ (` में)	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (` में)
2015-16	1,57,300	2,42,000
2016-17	1,73,030	2,66,200
2017-18	1,90,333	2,92,820

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन-प्रभाग के वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरित पत्रावलियों की लेखापरीक्षा जाँच किये जाने पर पाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8-वी/यू॰सी॰पी॰/06/308/2010/एफ॰सी॰/1733, दिनाँक 27-10-15 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा-लक्ष्मण झूला-बैराज मोटर मार्ग के किमी 56 से गाजसेरा मोटर मार्ग के निर्माण कुल लम्बाई 1.475 किमी॰ हेतु 1.3275 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन निम्न शर्तों के अधीन किया गया:
(i) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.655 हे॰ सिविल सोयम भूमि, ग्राम-गलीबड़ में वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धांतों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जाना था।
(ii) प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जाना था।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मात्र ` 1,78,827/- तथा पथ वृक्षारोपण हेतु मात्र ` 3,42,500/- की धनराशि ही कैम्पा फ़ंड में भुगतान किया गया था । उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 362/X-4-16/1(106)/2016 दिनाँक 15.07.2016 द्वारा वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित कर दी गयी थी। प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित भूमि 2.655 हे॰ पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना था। वर्ष 2015-16 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर ` 1,57,300/- प्रति हे॰ थी। अतः 2.655 हे॰ भूमि पर वृक्षारोपण हेतु ` 4,17,632/- की धनराशि जमा की जानी थी जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मात्र ` 1,78,827/- ही जमा कराये गये थे। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ` 2,38,805 (` 4,17,632 - ` 1,78,827) कम जमा कराये गये थे। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई 1.475 किमी थी जिसपर रोड साइड वृक्षारोपण हेतु दर ` 2,42,000/- प्रति किमी की दर से `

3,56,950/- लिया जाना था जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मात्र ` 3,42,500/- ही जमा कराया गया। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ` 14,450/- कम जमा कराये गये थे।

इस प्रकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा ` 2,53,255/- की कम वसूली की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रकरण की जाँच कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा नियमानुसार प्रचलित दर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि की वसूली नहीं की गयी थी।

अतः धनराशि ` 2,53,255/- की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 2 : वन-निगम द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ` 0.68 लाख।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून

(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार न करने पर विलम्ब शुल्क देय होगा।

बिन्दु संख्या 33(2) के अनुसार वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी की किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार न करने पर विलम्ब शुल्क देय होगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्यालय के पत्र संख्या 368/9-1 दिनाँक 02.08.2017 द्वारा वर्ष 2016-17 में वन विकास निगम, पौड़ी को आवंटित की गयी लाटों की अवशेष रॉयल्टी ₹ 1,09,289/- माह सितम्बर 2017 तक जमा कराये जाने हेतु लिखा गया था। परन्तु, आगे जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम पौड़ी द्वारा पत्र संख्या 536/रॉयल्टी दिनाँक 24.08.2017 द्वारा विभिन्न आदेशों का संदर्भ देते हुये अवगत कराया गया कि विकास कार्य से संबन्धित आवंटि वृक्षों की रॉयल्टी निगम द्वारा भुगतान नहीं की जायेगी।

निगम **द्वारा** अवशेष रॉयल्टी जमा न कराये जाने के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि निगम द्वारा माह 09/2018 में धनराशि ₹ 41,277/- जमा किये गये हैं एवं अवशेष रॉयल्टी की वसूली हेतु निगम को पत्र लिखा गया है।

चूँकि वन विकास निगम द्वारा उनके स्थायी आदेश संख्या 3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनाँक 14.09.2016 के आधार पर विकास कार्य लाटों का रॉयल्टी भुगतान नहीं किया जा रहा था। जबकि लेखापरीक्षा में निगम के उक्त आदेश में वर्णित आदेशों (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 5-1/2007/FC दिनाँक 11.12.2008 एवं F.No. 5-1/98-FC/पीटी-II दिनाँक 29.03.2005 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्रांक 783/1-42 दिनाँक 07.09.2016) का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि इन आदेशों में विकास कार्यों हेतु आवंटित लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी भुगतान न किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है। प्रभागीय कार्यालय स्तर से भी पत्र

संख्या 1111/9-1 दिनाँक 17.10.2017 द्वारा विकास कार्य लाटों से संबन्धित रॉयल्टी की वसूली हेतु वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त से निर्देश चाहे गये थे। परन्तु, वर्तमान (11/2018) तक इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये थे ।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेशों के अनुसार वन विकास निगम को विकास कार्य के लाटों के निस्तारण हेतु समस्त भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि नियमित लाटों के अपेक्षाकृत निगम को विकास कार्य लाटों में अधिक लाभ हो रहा है। परन्तु, निगम द्वारा विभाग को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि लाट आवंटन, वृक्षों का छपान, आयतन आंगणन एवं रॉयल्टी आंगणन आदि की पूर्ण प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है ।

इस प्रकार विभाग द्वारा मात्र निगम के आदेश के आलोक में रॉयल्टी ` **68,012/- (109289-41277)** की वसूली न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-3 : मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित भुगतान ` 96.34 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा वन्य जीवों द्वरा जान-माल को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त "मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012" प्रख्यापित की गयी। नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जनमानस की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त मे मानव क्षति (घायल) के 11, पशु क्षति के 842, फसल क्षति के 30 एवं मकान क्षति के 02 (कुल 885) प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष क्रमश: ` **2.53** लाख, ` 92.195 लाख, ` 1.166 लाख व ` **0.446** लाख **कुल ` 96.337 लाख** का भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (11/2018) तक लम्बित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान अवशेष है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण ` 96.337 लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-4 : वन जमा में धनराशि अवरुद्ध रहना ` 37.17 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक: 194/XXVII/आ॰प्र॰(14)/2009 दिनाँक 26.02.2009 द्वारा वन विभाग की ऐसी योजनायें जिनकी धनराशि डी॰सी॰एल॰ लेखे में जमा है एवं जिनमे 25 प्रतिशत कार्य हो गया है, के लिये संबन्धित जिलाधिकारी तथा जिन योजनाओं में 25 प्रतिशत तक कार्य नहीं हुआ है उनके लिये डी॰सी॰एल॰ में रखी गयी धनराशि के उपभोग के लिये वित्त विभाग से पुनर्वैध (revalidate) करने की पूर्ववत आवश्यकता होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन-प्रभाग की नमूना लेखापरीक्षा में डी॰सी॰एल॰ से संबन्धित लेखाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रभाग के वन जमा (डी॰सी॰एल॰) में माह अगस्त 2010 या उससे पूर्व की ₹ 37,17,169/- की धनराशि बिना उपयोग के अवरुद्ध थी तथा वर्तमान तक पुनर्वैध नहीं की गयी थी (विवरण संलग्न)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि धनराशि के पुनर्वैध हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्तमान (11/2018) तक धनराशि पुनर्वैध नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त संलग्नक के क्रम संख्या 3,8,9,15,16,17,18,20,21,22,23 एवं 24 में अंकित राशि ₹ 21,82,868/- जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण माह अगस्त 2010 या उससे पहले की थी। वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर 67355.00 प्रति हेक्टेयर से बढकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 278655.00 प्रति हेक्टेयर हो गई। यदि समय से उक्त धनराशि ₹ 2182868.00 का उपयोग वृक्षारोपण हेतु कर लिया जाता तो ₹ 67355/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 32.41 हेक्टेयर वन भूमि वृक्षारोपित हो जाती जो अब वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 278655/- प्रति हेक्टेयर की दर से मात्र 7.83 हेक्टेयर वृक्षारोपित होगी।

समय से क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि का उपयोग न होने से इस मद में प्राप्त धनराशि के वांछित लक्ष्य तथा लाभ से वन भूमि वंचित थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	गत वर्ष का अवशेष	वर्ष में व्यय	कुल अवशेष
1.	लीसा ग्राम्य विकास की धनराशि	39744.00	-	39744.00
2.	लौट सं. 10/93-94 की जमानत	950.00	-	950.00
3.	कैन्ट वन कार्य योजना	3202.00	-	3202.00
4.	मै. मरकरी हिमालयन, दिल्ली जमानत	800.00	-	800.00
5.	जीप सं. 2039 नीलाम से प्राप्ति	17200.00	-	17200.00
6.	जिला परिषद का लाभांश	2708.00	-	2708.00
7.	जिला ग्राम्य विकास आमसौड-झवाणू जीप मार्ग	188903.00	-	188903.00
8.	उ.प्र. जलनिगम, कोटद्वार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	28471.00	-	28471.00
9.	हम दो हमारे दस पौध रोपण	1536.00	-	1536.00
10.	लौट सं. 293,394,435,437/99-2000 जमानत	259.00	-	259.00
11.	कोटद्वार रेंज केस सं. 18/02-03 को पकडने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु धनराशि	15000.00	-	15000.00
12.	कोटद्वार रेंज की नदियों से प्राप्त रीवर ट्रेनिंग /क्षतिपूरक/ सीमांकन की धनराशि	182922.00	-	182922.00
13.	विभिन्न लीसा विक्रय लौटों के मूल्य का 7.4 वन जमा	692937.00	-	692937.00
14.	विभिन्न कास्तकरों की जमानत धनराशि जो विभागीय पक्ष में अवमुक्त हुई से प्राप्त	221944.00	-	221944.00

	धनराशि			
15.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	491106.00	-	491106.00
16.	विश्णुप्रयाग- मुजफ्फरनगर विधुत पारेषण ला.नि. में वन भूमि हस्तान्तरण पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण	449853.00	-	449853.00
17.	ग्रोथ सेन्टर में वृक्षारोपण हेतु	392599.00	-	392599.00
18.	उत्तराखण्ड जल संस्थान कोटद्वार (5 है. भूमि हस्तान्तरण) द्वारा वृक्षारोपण हेतु	35000.00	-	35000.00
19.	ई.पी.आई. संस्था (ठेकेदारों से) रॉयल्टी	17457.00	-	17457.00
20.	ध्रुवपुर- जशोधरपुर विधुत लाईन के सापेक्ष (रिक्त स्थानों पर रोपण हेतु)	360700.00	-	360700.00
21.	कोटली मेल जल विधुत परियोजना के कैट प्लान की जमा धनराशि	120000.00	-	120000.00
22.	केसी धूरा मोटर मार्ग निर्माण के सापेक्ष (लो.नि.वि. दुगड्डा से) प्राप्ति	101630.00	-	101630.00
23.	सतपुली मस्टखाल 33 के.वी. विधुत पारेषण लाईन के सापेक्ष वृक्षारोपण	98771.00	-	98771.00
24.	ध्रुवपुर- सिमलचौड मोटर मार्ग के सापेक्ष (रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण)	100000.00	-	100000.00
25.	उ.प्र. वन निगम (डी.एल.एम. नजीबाबाद) से निकासी हेतु प्राप्ती	4380.00	-	4380.00
26.	उत्तरांचल बॉस एवं रेशा विकास परिषद से बॉस कल्चर कार्य हेतु (280 है. क्षेत्र में)	142965.00	-	142965.00
27.	दुगड्डा रेंज के द्वारा राष्ट्रीय राज मार्ग पर हो रहे कार्यों के निर्मित पत्थर आदि वसूल की गई धनराशि	6132.00	-	6132.00
				3717169.00

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
38/2010-11	-	01	
48/2014-15	-	01,02,03	01
19/2016-17	01	01	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
24/169/2004-05	-	01,02,03,04	
17/2010-11	01,02	-	
38/2010-11	01	01,02	
48/2014-15	-	01,03	
19/2016-17	-	01,02,03,04,05	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताए: शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री वैभव कुमार सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी
2		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र